संवाददाता पटना

तय सीमा में लोगों को सेवा देने के लिए बने राइट टू सर्विस एक्ट की मंजूरी के बाद इसे 15 अगस्त से लागू करने की तैयारी शुरू हो गयी है. इसके लिए अधिनियम, नियमावली व सेवाओं क निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी हो गयी है. अब इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

3699 आवेदन मिले

राइट टू सर्विस एक्ट को लागू करने के लिए कर्मियों की नियुक्ति शुरू हो गयी है. पहले चरण में 1200 कार्यकारी सहायकों की कॉन्टैक्ट पर नियुक्ति होनी है. उन्हें सात हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. इन पदों के लिए 3,699 आवेदन प्राप्त हुए हैं. सभी डीएम को रोस्टर के अनुरूप पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है.कार्यकारी सहायकों को प्रखंड व एसडीओ ऑफिस में तैनात किया जायेगा. हर प्रखंड में दो और एसडीओ ऑफिस में एक सहायक की तैनाती होगी. कंप्यूटर में दक्षता अनिवार्य योग्यता होगी. सरकार ने हर प्रकार की सेवा के लिए अधिकारी नामित कर दिया है. मूल रूप से बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीटीओ, वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त व उपायुक्त को नामित किया गया है. उन्हीं के कार्यालय में सेवा के लिए आवेदन करना है. सेवा प्रदान करने में सहायता देने के लिए कार्यकारी सहायकों की नियुक्ति की जा रही है.

अल्ल